

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1140/2014/अजमेर.

2. अपील संख्या - 1141/2014/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, राबड़ियावास, ब्यावर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 125 व 126/13-14/वैट/ब्यावर में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2007-08 व 2008-09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61, 65 सपठित धारा 18 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सीमेंट के विनिर्माण का कार्य करते हैं। सीमेंट के विनिर्माण कार्य हेतु प्लांट एण्ड मशीनरी में केप्टिव पॉवर प्लांट भी स्थापित किया हुआ है जिससे वे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस केप्टिव पॉवर प्लांट संचालन के लिये LNG एवं लिग्नाईट फ्यूल के रूप में खरीद किया गया था, जिस पर वैट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के प्रावधान अनुसार आई.टी.सी. का लाभ लिया गया था। उक्त दोनों वर्षों (2007-08 एवं 2008-09) के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों में नियमित

31



लगातार.....2

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त पयूल पर आई.टी.सी. का लाभ लिया जाना विधिसम्मत माना गया था, परन्तु प्रतिकरापवंचन वृत्त राजस्थान जयपुर द्वारा यह अभियोग दिनांक 19.05.2011 के सर्वेक्षण में बनाया गया कि कम्पनी में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट में इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पादन हेतु जो कच्चा माल प्रयुक्त किया गया है उस पर आई.टी.सी. का लाभ अनुज्ञेय नहीं है एवं इस भिन्न मत के अनुसार उनके द्वारा वेत अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत आदेश पारित किया जाकर यह अवधारित किया गया कि बिजली के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधि के प्रतिकूल है एवं कम्पनी द्वारा बिजली उत्पादन हेतु राज्य के भीतर से जो कच्चा माल खरीद किया गया है उस पर आई.टी.सी. का क्लेम अनुज्ञेय है। अपीलीय अधिकारी के निर्णय द्वारा रिवर्स किये गये कर, शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधि के अनुसार पारित किये गये थे अतः उक्त आदेशों को पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का पठन करके पीठ को सुनाया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश प्रथमतया क्षेत्राधिकारविहीन था क्योंकि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए आई.टी.सी. क्लेम को विधिक रूप से व्यवहारी को प्रदान किया गया था उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं थी बल्कि केवल Change of opinion के आधार पर प्रतिकरापवंचन वृत्त के अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2011 को एक सर्वेक्षण कर यह मत लिया गया कि केप्टिव पॉवर प्लांट, सीमेंट निर्माण की मशीनरी का भाग नहीं है बल्कि यह एक इलेक्ट्रिक जनरेशन पृथक कार्य है जो पूर्णतया विधि के विरुद्ध है एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित निर्णयों के विरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि व्यवहारी द्वारा सीमेंट का विनिर्माण किया जाता है एवं सीमेंट निर्माण के लिये आवश्यक समस्त प्रक्रिया विनिर्माण का भाग होती है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिये केप्टिव पॉवर प्लांट में प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल पर आई.टी.सी. को रिवर्स किया जाना पूर्णतया विधि के विरुद्ध होने से

31

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश के जरिये प्रत्येक बिन्दु की विवेचना करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल है। कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से यह पुष्टि योग्य है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में विवाद का एकमात्र बिन्दु यह है कि सीमेंट के विनिर्माण कार्य में प्रयुक्त बिजली के उत्पादन के लिये जो माल प्रयुक्त होता है वह वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 2(29), 2(22) एवं 18(1)(ई) के प्रावधानों को उद्धरित किया जाना उचित है जो निम्न है :-

Sec. 2. Definitions.-

(22) **“manufacture”** includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

(29) **“raw material” means** goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, **fuel and lubricant required for the process of manufacture;**

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(e) **being used as raw material**, except those as may be notified by the State Government, **in the manufacture of goods** other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

8. प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि सीमेंट के विनिर्माण हेतु आवश्यक एनर्जी के लिये कम्पनी द्वारा कैप्टिव पॉवर प्लांट स्थापित किया हुआ है एवं कैप्टिव पॉवर प्लांट के संचालन हेतु लिग्नाईट एवं L.N.G. का उपयोग किया जाता है जो बिजली उत्पादन के लिये फ्यूल का कार्य करते हैं एवं कच्चे माल की प्रदत्त परिभाषा धारा 2(29) में 'फ्यूल' सम्मिलित है एवं वेट अधिनियम

लगातार.....4

31

की धारा 18(1)(ई) में विनिर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर आई. टी.सी. अनुज्ञेय है। इस प्रकरण में यह विवाद है कि क्या सीमेंट विनिर्माण हेतु जो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिये जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वह विनिर्माण हेतु कच्चा माल माना जावे या नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश न्यायिक निर्णयों के साथ पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस बिन्दु पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 177/2007 वाणिज्यिक कर अधिकारी उदयपुर बनाम राजस्थान टैक्सकेम लिमिटेड निर्णय दिनांक 12.01.2007 का सुसंगत अंश उद्धरित किया जाना उचित होगा। सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"2. The above appeal filed by the Commercial Taxation Officer Circle-B, Udaipur raises a very interesting question of law of general public importance, as to the parameters for the test for the determination of raw materials and in addition to whether the use of articles or commodities not generally used in the manufacturing process can still be categorized as raw materials for the purpose of concession in the levy of taxes, for consideration by this Court. In other words; "Whether diesel can be called raw material in the manufacture of polyester yarn.

3. In the present case, the respondent is engaged in the business of manufacture of polyester yarn and for the said purpose, it purchased diesel and used it for manufacturing electricity by D.G.-sets. The respondent has claimed a benefit under Section 10(1) of Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') claiming that diesel purchased is a raw material for the manufacture of the ultimate final product - Polyester Yarn.

.....

23. In view of the fact that the diesel is being used for the purpose of running the generator set for the production of the ultimate product which is also required for the purpose of manufacturing the end product the diesel can only be termed as raw material and not otherwise. The Rajasthan Tax Board was, therefore, justified in setting aside the orders passed by the Assessing Authority as confirmed by the Deputy Commissioner (Appeals).

.....

26. The respondent-assessee used diesel as raw material for the manufacture of the end product, namely, yarn and fabric. The diesel used by the assessee is a fuel and lubricant as defined under Section 2(34) of the RST Act."





लगातार.....5


9. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निर्माण कार्य हेतु आवश्यक बिजली के उत्पादन हेतु जो कच्चा माल कार्य में लिया गया है उसे अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु लिया गया कच्चा माल ही माना जायेगा। इस निर्णय में राजस्थान कर बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि पॉलिस्टर यार्न के विनिर्माण हेतु डीजल जनरेशन सेट में प्रयुक्त होने वाला डीजल पॉलिस्टर यार्न के विनिर्माण हेतु कार्य में लिया जाने वाला कच्चा माल ही माना जावेगा।

10. इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ गुजरात बनाम एमी पिगमेंट्स प्रा० लि० (2009) वेट रिपोर्टर 61 में अवधारित किया है कि अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में प्रयुक्त किये गये फ्यूल जैसे Furnace oil, Naphtha, Liquid Diesel oil, Natural Gas आदि के अन्तिम उत्पाद के लिये कच्चे माल के रूप में ही सम्मिलित योग्य होंगे। इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट रूप से विधि स्थापित होती है कि ऐसा फ्यूल कच्चे माल के रूप में ही सम्मिलित योग्य है और उस पर आई.टी.सी. देय होगी।


11. उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

12. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य